

अनुदान संख्या 77 - राज्य सभा
GRANT NO. 77 - RAJYA SABHA

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue :			
<i>प्रभारित -</i>	<i>Charged-</i>			
मूल	Original	72,00		
			78,00	70,06
				-7,94
पूरक	Supplementary	6,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
<i>स्वीकृत -</i>	<i>Voted -</i>			
मूल	Original	172,33,00		
			195,34,00	189,50,31
				-5,83,69
पूरक	Supplementary	23,01,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,02,11

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (₹7.94 लाख) मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹6.00 लाख के पूरक विनियोग से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत विनियोग का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the charged portion of the grant, the overall savings (₹7.94 lakhs) exceeded the supplementary appropriation of ₹6.00 lakhs obtained in March, 2011 and constituted 10 percent of the total sanctioned appropriation.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2011" संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Major Head "2011" Parliament/State/Union Territory Legislatures			
मू.	O.	72.00		
			78.00	70.06
				- 7.94
पू.	S.	6.00		

(I) “संसद - राज्य सभा - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष” के अंतर्गत ₹72.00 लाख के मूल विनियोग को ₹6.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹78.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹7.94 लाख की बचत (पूरक विनियोग सहित) बिजली बिलों के प्राप्त न होने, कम मुद्रण और कम जलपान बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹583.69 लाख) नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹2301.00 लाख के पूरक अनुदानों का 25 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2011”	Major Head “2011”				
संसद/राज्य/संघ	Parliament/State/Union				
राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Territory Legislatures				
मू.	O.	17233.00			
पू.	S.	2301.00	19231.89	18950.31	- 281.58
पु.	R.	-302.11			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “संसद - राज्य सभा सचिवालय - राज्य सभा दूरदर्शन चैनल” के अंतर्गत ₹2225.07 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2250.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, हार्डवेयर/उपसाधनों की खरीद को मूर्त रूप न दिए जाने, राज्य सभा दूरदर्शन चैनल पूरी तरह से प्रचालन में नहीं होने के कारण हुई।

(I) Under “Parliament - Rajya Sabha - Chairman and Deputy Chairman”- the original appropriation of ₹72.00 lakhs was augmented to ₹78.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹6.00 lakhs. However, there was a saving of ₹7.94 lakhs (including supplementary appropriation) - due to non-receipt of electricity bills, less receipt of printing and refreshment bills.

2. In the voted portion of the grant, the overall savings (₹583.69 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grants of ₹2301.00 lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
------------------------------	----------------------------------------	------------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Parliament - Rajya Sabha Secretariat - Rajya Sabha Television Channel” - saving of ₹2225.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2250.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and non-materialization of purchase of hardware/accessories, Rajya Sabha Television Channel not being fully operational.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹299.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि “संसद - राज्य सभा - सदस्य” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹100.54 लाख था।

(II) बचतें “संसद - राज्य सभा सचिवालय - सचिवालय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹1541.09 लाख का अधिक व्यय (₹7165.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग के बकाया के भुगतान और लंबित चिकित्सा बिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3.(I) The above savings were partly (₹299.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under “Parliament – Rajya Sabha – Members”. Actual excess, however, was ₹100.54 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under “Parliament - Rajya Sabha Secretariat – Secretariat” – excess of ₹1541.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7165.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of 6th Central Pay Commission arrears and pending medical bills.
